संख्या- 178 /2025/ 1021/चार-2025-1909868

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2025**

विषय:- महाकुम्भ-2025 प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा निर्मित कराई टेन्ट सिटी पर हुए व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5929/सं0नि0-15(93)/2024-25, दिनांक 20 मार्च, 2025 एवं पत्र संख्या- 5931/सं0नि0-15(150)/2024-25, दिनांक 20 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में दिनांक 14.01.2025 से 26.02.2025 तक कलाकारों के आवासन हेतु टेन्ट सिटी एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले व्यय उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के खाते में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त का विवरण निम्नवत है :-

1	महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में दिनांक 14.01.2025 से 26.02.2025 तक **200 कलाकारों** के आवासन हेतु टेन्ट सिटी एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले व्यय उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के खाते में अवमुक्त करने हेतु।	**रू0 4,88,16,482/-**
2	प्रयागराज में दिनांक 14.01.2025 से 26.02.2025 तक **300 कलाकारों** के आवासन हेतु डोरमेट्री कॉटेज एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले व्यय उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ के खाते में अवमुक्त करने हेतु।	**रू0 5,48,58,672/-**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में दिनांक 14.01.2025 से 26.02.2025 तक **200 कलाकारों** के आवासन हेतु टेन्ट सिटी एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले व्यय धनराशि **रू0 4,88,16,482/- (रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख सोलह हजार चार सौ बयासी मात्र)** एवं महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में दिनांक 14.01.2025 से 26.02.2025 तक **300 कलाकारों** के आवासन हेतु डोरमेट्री कॉटेज एवं खान-पान की व्यवस्था पर होने वाले व्यय धनराशि **रू0 5,48,58,672/- (रूपये पांच करोड़ अड़तालीस लाख अट्ठावन हजार छः सौ बहत्तर मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ को इस शर्त के साथ धनराशि प्रदान की जायेगी कि काटेज की व्यवस्थाओं व अन्य अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर सम्यक् कार्यवाही करके वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।